

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत**

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक ३६६ / 36सी.

दिनांक रानीखेत अक्टूबर ०१, 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में सरपटा चनुली कोटा बासोट मोटर मार्ग।
(प्रस्ताव संख्या 9017 / 2014)

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक मैमो / 12-1(2) दिनांक 29.09.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	The village level committee proceeding for village Kunjhana is still not provided by the State Govt. May provide the same.	The village level committee proceeding for village Kunjhana FRA is submitted in K part I
2.	The hard copy of the proposal is not provided to this office yet. The state Govt. may provided hard copy of the proposal to this office.	Hard copy submitted in Nodal office Dehradun by letter no. 1883/36c dated 06-08-2016. (Letter Attached)


अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत**

Ph. No. 05966-220679

Fax No. 05966-220679

E-mail - eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 1883 / 36सी.

दिनांक रानीखेत अगस्त 6, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा कालोनी, फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में इस खण्ड के अधीन विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कापी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि इस खण्ड द्वारा विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किये गये हैं, जिनकी हार्ड कापी आपके कार्यालय में प्रस्तुत की जा रही है।

1. ✓ जनपद अल्मोड़ा में ईकुखेत-गुदलेख-मसमोली मोटर मार्ग का निर्माण। (7.290 है०)
(प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/16209/2015)
2. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभाक्षेत्र सल्ट में मंगरौखाल-तनसालीसैण-कालिकाखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण। (8.280 है०)
(प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/16180/2016)
3. जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में सरपटा-चुनली-कोटा-बासोट मोटर मार्ग का नव निर्माण। (0.537 है०)
(प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/9017/2014)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 3-3 प्रतियों में।

भवदीय,

(कुन्दन लाल वर्मा)

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक 1883 / 36सी 6/8/16 तददिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख
26/8/16
अधिशासी अभियन्ता एवं वन संरक्षक
वन संरक्षण विभाग (वन विभाग)
उत्तराखण्ड, देहरादून

o/c

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

1.6 A

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- स्पष्ट-चनुली-कोश-बासोह मोटर मार्ग
पीपलगौव वैण्ड

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चनुली
तहसील चिपकोट जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्त
उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (— हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल सोयम भूमि..... हे०, वन पंचायत भूमि ०.२८७ हे०) अर्थात् कुल ०.२८७ हे० वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चनुली द्वारा दिनांक ११-११-२०१५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चनुली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव

देविन्द्राणि
प्रधान

ह०/-
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत-चनुली

वि० प्र० भि० अ० (अल्मोड़ा)

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

गंगादेवी
प्रधान

ग्राम सभा-बासोह
वि० अ० भि० अ०
जिला-अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1.6 B

प्रपत्र-23.1

दिनांक 5/11/014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चनुली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीवाराह पुरराय	
2	राजनाथ सिंह रातनाथ सिंह	
3	गणेशनाथ सिंह देवानाथ सिंह	
4	पानाथ सिंह श्री गौरी सिंह	
5	देवनाथ सिंह श्री गौरीनाथ सिंह	
6	देवनाथ सिंह श्री गौरीनाथ सिंह	
7	विमानराय श्री राजराय	
8	राजनाथ सिंह श्री राजनाथ सिंह	
9	श्रीवाराह पुरराय	
10	मोहनदेवी श्री वालाभा सिंह	
11	देवनाथ सिंह श्री देवनाथ सिंह	
12	मोहनराय श्री चन्द्रराय	
13	गोदानराय श्री गौरीनाथ	
14	पुष्पादेवी श्री मोहनराय	
15	आनन्ददेवी श्री आनन्दनाथ सिंह	
16	पुष्पादेवी श्री रामराय	
17	मोहनदेवी श्री रामराय	
18	मोहनदेवी श्री रामराय	
19	मोहनदेवी श्री रामराय	
20	मोहनदेवी श्री रामराय	

(2) श्रीवाराह पुरराय = श्रीवाराह
 (3) देवकी देवी श्री देवानाथ सिंह = देवकी देवी
 (4) मोहनदेवी श्री पद्मनाथ सिंह = मोहनदेवी
 मोहनदेवी श्री रामराय = रामराय
 वालाभा सिंह श्री रामराय सिंह = रामराय
 देवनाथ सिंह श्री देवनाथ सिंह = देवनाथ सिंह
 मोहनदेवी श्री रामराय = रामराय

ह0/-
 ग्राम प्रधान
 देवनाथ सिंह
 प्रधान
 ग्राम पंचायत-चनुली
 वि०ख० भिरयासैन (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में सरपटा - चनुली - कोटा - बासौर
मो. मांडी का नव निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सरपटा / चनुली

तहसील राजीव

जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरपटा - चनुली - कोटा - बासौर परियोजना के निर्माण हेतु (.....
.....हे० आरक्षित वन भूमिहे० सिविल सोयम भूमि ०.२५० हे० वन पंचायत भूमि ०.२८७ हे०) अर्थात् कुल ०.५३७
हे० वन भूमि का कोटा विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सरपटा / चनुली द्वारा दिनांक ५-११-१४ को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सरपटा / चनुली के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि कोटा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
विभागीय कार्यालय चिन्ता

देवेन्द्राहि
प्रधान
ग्राम पंचायत-चनुली
वि० सं० भिक्यासैन (अल्मोड़ा)
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

५.११.१४

०.२८.२०१४

दिनांक 1-11-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सरपंच/चानकी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	कुमार सिंह	॥ श्री कुमर सिंह
2-	दुर्गा देवी	॥ श्रीमती दुर्गा देवी
3-	शिव सिंह	॥ श्री शिव सिंह
4-	कृपाल सिंह	॥ कृपाल सिंह
5-	दिवा ना सिंह	॥ दिवाना सिंह
6	देव गौरी	॥ देवगौरी

7. சாம்பல்

[Signature]

⑤ 10/1/23

ग्राम प्रधान / सरपंच

प्रधान

ग्राय पंजाब-चनुली
वि०२४० निवडासिन (अल्मोडा)

परियोजना का नाम :-

जनपद-अल्मोड़ा में सरपरा - चुनौली - कोयल बासोड मोटर
मार्ग का नव निर्माण (0.537 हे०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम इन्गोली
तहसील भिकियासेन जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत इन्गोली परियोजना के निर्माण हेतु (X)
हे० आरक्षित वन भूमि X हे० सिविल सोयम भूमि 0.25 हे० वन पंचायत भूमि 0.287 हे० अर्थात् कुल 0.537
हे० वन भूमि का को० रि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत इन्गोली द्वारा दिनांक 4-11-04 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम इन्गोली के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, इन्गोली
अल्मोड़ा जिला

ग्राम प्रधान / सरपंच
ग्राम पंचायत, इन्गोली
अल्मोड़ा जिला
वि०ख०-भिकियासेन (अल्मोड़ा)

दिनांक 4-11-018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत इनोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	दीवान सिंह	दीवान सिंह
	किशनानंद	किशनानंद
	प्रभाग सिंह	प्रभाग सिंह
	दामोदर	दामोदर
	नन्दनगिरी	नन्दनगिरी
	मधुली देवी	मधुली देवी

मधुली देवी

ग्राम प्रधान / सरपंच

Prin
प्रधान

ग्राम पंचायत इनोली
वि० सं०-भिकियासैन (अल्मोडा)

परियोजना का नाम :-

जनपद-अल्मोड़ा में सरपटा - चुली - कोटर बासोड मोटर
मार्ग का नव निर्माण (0.537 हे०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कुवसणा / इनोली
तहसील भिकियासैन जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत इ.प.र.व.त. परियोजना के निर्माण हेतु (X)
हे० आरक्षित वन भूमि X हे० सिविल सौयम भूमि 0.25.0 हे० वन पंचायत भूमि 0.28.7 हे० अर्थात् कुल 0.537
हे० वन भूमि का को० नि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुवसणा द्वारा दिनांक 4-11-04 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुवसणा / इनोली के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रारक्षित वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

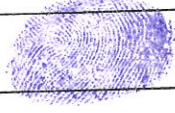
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
अल्मोड़ा जिला

ग्राम प्रधान / सरपंच
ग्राम पंचायत इनोली
मुहर सहित
वि०ख०-भिकियासैन (अल्मोड़ा)

प्रारूप -23.1

दिनांक 4-11-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुणसणा / इनोली

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1. बुध्दाल सिंह	बुध्दाल सिंह
2. जमन सिंह	जमन सिंह
3. मधुली देवी	
4. विमला देवी	विमला देवी
5. कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह

ग्राम प्रधान / ससंच


प्रधान

ग्राम पंचायत इनोली
वि०ख०-भिकियासैन (अल्मोडा)

परियोजना का नाम :-

जनपद - अल्मोड़ा में सरपंच - चनुली - जोशी - वाशीट मोहर
भूमि का नव निर्माण ०.५३७ हे०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सौर
तहसील भिकियासैण जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत इपरावत परियोजना के निर्माण हेतु (X)
X हे० आरक्षित वन भूमि X हे० सिविल सोयम भूमि ०.२५० हे० वन पंचायत भूमि ०.२८७ हे० अर्थात् कुल ०.५३७
हे० वन भूमि का को० नि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सौर द्वारा दिनांक 12-11-14 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सौर के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को० नि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत सौर
ग्राम पंचायत सौर
ग्राम पंचायत सौर

प्रधान
ग्राम पंचायत सौर
वि० ख० भिकियासैण (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

सरपंच का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में -सरपंच-चटुली-कोटा-बासोटा
सौर मार्ग
का नव निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 02-11-014 को ग्राम पंचायत सौर की बैठक आहूत की गयी, जिसमें सरपंच - चटुली - कोटा - बासोटा मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन पंचायत सौर की भूमि व वृक्ष प्रभावित होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अतः मार्ग का निर्माण शीघ्र कर लिया जाय।

सदस्य

- 1- दुष्पा देवी
- 2- पुता पसित
- 3- शान्ती देवी
- 4- मि.अ. रत्न देवी
- 5- रवीम सिंह

सरपंच

Khem Singh
सरपंच
वन पंचायत सौर
वि० ख० भिकियारन (अल्मोड़ा)

दिनांक 2-11-014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सोर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	बामासिंह S/o इन्दु सिंह	बामासिंह
2-	राजेशिंह S/o बच्चू सिंह	राजेशिंह
3-	राजेशु राम S/o हरी राम	राजेशु राम
4-	अम्बा देवी S/o चन्दनसिंह	अम्बा देवी
5-	शमसिंह S/o आनसिंह	शम सिंह
6-	देव सिंह S/o अतमीसिंह	देव सिंह

प्रधान
ग्राम प्रधान / सरपंच
वि०ख० भिकियासैण (अन्मोडा)

Kheem Singh
सरपंच
ग्राम पंचायत सोर
वि०ख० भिकियासैण (अन्मोडा)

परियोजना का नाम :-

जनपद - अल्मोड़ा में सरपटा - चुबुली - जोरा - वासोरा मोटर
मार्ग का नव निर्माण ८०.५३७ हे०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कोट गिराई
तहसील मिर्जिया संग जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उत्प्रेषण परियोजना के निर्माण हेतु (.....
.....४ हे० आरक्षित वन भूमि ०.२५० हे० सिविल सोयम भूमि ०.२४७ हे० वन पंचायत भूमि ०.५३७ हे०) अर्थात् कुल ०.५३७
हे० वन भूमि का लोका निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोट गिराई द्वारा दिनांक १-११-१४ को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोट गिराई के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोका निर्माण प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत कोट गिराई
ग्राम पंचायत कोट गिराई
विभागीय अधिकारी मिर्जिया संग

गंगादेवी
ग्राम प्रधान / सरपंच
ग्राम पंचायत कोट गिराई
पो० - कोटा गिराई
दो० ब० मिर्जिया संग (अल्मोड़ा)

दिनांक 4-11-014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत जोडा गिराई

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	रखली देवी	रखली देवी
2-	राधा देवी	राधा देवी
3-	लीला देवी	लीला देवी
4-	जीवन सिंह	जीवन सिंह

ग्राम प्रधान / सरपंच

जीवन सिंह

ग्राम पंचायत जोडा गिराई

50 भिकियासैण (अल्मोड़ा)

16C

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- सरपदा - चनुली, कोरा - सलौनी, पीपलगांव बौड तक
लिंक मार्ग,

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डि. कि. 17/07

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, डि. कि. 17/07

जी. एस. बिष्ट

सदस्य जिला पंचायत

24 बिनोली मिकियासेन

जिला अल्मोड़ा

उपखण्ड स्तरीय समिति के अन्तर्गत 34/07/08
हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल एवं सोयम वन भूमिहे०

वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.537 हे० वन भूमि) का

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील डि. कि. 17/07) की दिनांक 3-11-014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

उप जिलाधिकारी,
मिकियासेन (अल्मोड़ा)

- | | | | |
|----|----------------------|---------------------------|---------|
| 1- | श्री एन. एस. नयिवावा | उप जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- | श्री के. सिंह | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- | श्री सु. एस. उक्त | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य |
| 4- | श्री जोगा सिंह | बी०डी०सी० क्षेत्र | सदस्य |

जोगा सिंह

सदस्य

उप जिलाधिकारी
मिकियासेन (अल्मोड़ा)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

सरपदा - चनुली - कोरा मार्ग

परियोजना हेतु 0.537 हे० वन भूमि

सरपदा - चनुली - कोरा मार्ग

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

1.6 D.

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड वि. वि. वि. परिक्षेत्र के अन्तर्गत
स. 142 - उ. 142 - कोटा - 11142 परियोजना के निर्माण हेतु
हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- वि. वि. वि.
जनपद अ. 142

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- वि. वि. वि.
जनपद अ. 142

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में सरपटा चनुली कोटा बासोट मोटर मार्ग। (8.50 किमी.)

वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि० 01.12.2014 के अनुसार प्रमाण-पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में सरपटा चनुली कोटा बासोट मोटर मार्ग (8.50 किमी.) के निर्माण हेतु ०.५३७ है० वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


हो/- 06/12/14
जिलाधिकारी

1.69

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date 04-12-2014.....at time.....at Almora. in which application claiming rights of Basot, chanuli.. area measuring hect. for the Construction of Sarpata- chanuli-12ota Basot motor Road of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.537 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बलसोड़ा

जिला अधिकारी
बलसोड़ा.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

1:6 F

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Almora

No :.....

Dated:.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 0:53.7...hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Sarpata Chamuli Kata Basal meter Road (Purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Chamuli village(s) in Bhikuria Tehsil.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0:53.7 Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

105
 04/11/2014
 Tehsildar

SS.D.M. (कारा),
 भिकुरीय (बल्मोड़ा)

04/11/2014
 जिला अधिकारी
 बल्मोड़ा
 D.M.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
 बल्मोड़ा